Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

V.C. : 2570450 2570263
REGI.: 2570301 2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं: सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰/सम्ब॰/3713 /2017

दिनांक : 30/8/2017

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत कार्य परिषद (बैठक दिनांक: 30.05.2017) की अनुमति से **नन्द किशोर कैलाश चन्द्र महाविद्यालय, टिकरा, बिसवॉ, सीतापुर** को **स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **दिनांक: 01.07.2017** से आगामी **तीन वर्षों** हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्व निर्गत पत्र दिनांक: 30.05.2017 में इंगित कमियों यथा **(बिन्दु-1)** का निराकरण करा लिया जायेगा, अन्यथा आगामी सत्र में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
7. **महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता/निरंतरता सुनिश्चित की जायेगी।**

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, **नन्द किशोर कैलाश चन्द्र महाविद्यालय, टिकरा, बिसवॉ, सीतापुर** को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। **आदेशानुसार महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०एससी० पाठ्यक्रम के विषयों में 02 सेक्शन बायोग्रुप (60 छात्र प्रति सेक्शन) तथा 02 सेक्शन मैथग्रुप (60 छात्र प्रति सेक्शन) कुल 240 सीट्स एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में 02 सेक्शन (60 छात्र प्रति सेक्शन) कुल 120 सीट्स निर्धारित करते हुए पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति दी जाती है।**
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव (परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
5. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
6. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
7. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव